तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सप्लाई विविध प्रकरण सं. 04/2019** **प्रर्वतन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, जोधपुर बनाम मोहम्मद जाकिर वगैरा।**
10-07-2019	पत्रावली आज पेश हुई। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार जरिये प्रर्वतक निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय जोधपुर की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 –ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सहपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस वितरण व प्रदाय नियंत्रण आदेश के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध सर्वप्रथम न्यायालय, जिला कलक्टर, जोधपुर के यहां पेश किया है। प्रकरण जिला कलक्टर कोर्ट से पत्र क्रमांक 168 दिनांक 14.01.2019 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। जिसमें वस्तु स्थिति यह है कि दिनांक 06.11.2015 को रसोई गैस कालाबाजारी तथा घरेलू गैस का वाणिज्यिक प्रयोग में लेने के क्रम में प्रवर्तक निरीक्षक ने नया तालाब मोती कुण्ड, शिप हाऊस (ए0 एस. ट्रेडर्स के सामने) के पास स्थित मोहम्मद जाकिर पुत्र इंसाफ अली के मोटर गैरेज जोधपुर का रूबरू निरीक्षण किया गया तथा मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाहनों में गैस भरने मे किया जा रहा था। पूछताछ करने पर जाकिर के पास किसी भी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज तथा वाहनों में गैस भरने से संबंधित परिवहन विभाग द्वारा जारी अनुज्ञा–पत्र/रिपेयरिंग सबंधित दस्तावेज नहीं पाये गये। इस कारण 29 घरेलू सिलेण्डरों, दो मोटर वाहन में गैस भरने वाली मशीन व दो डिजीटर कांटा (क्षमता 100 किलोग्राम) की तलपट्टी बनाकर जब्त किया जाकर हनुमानराम पुत्र भलाराम निवासी उम्मेदनगर मथानिया हाल सेल्समेन मारवाड़ गैस सर्विस, जोधपुर को सुपुर्द किया गया।

क्र. स.	कम्पनी का नाम	सिलेण्डर नं.	सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का कुल वजन
1.	भारतगैस	153196P	16.2	16.890
2.	भारतगैस	217303-S	16.6	20.900
3.	भारतगैस	349606-E	15.9	16.240
4.	भारतगैस	328375-S	15.9	30.150
5.	भारतगैस	115352-S	16.6	16.900
6.	HP	384519-S	15.7	29.800
7.	HP	261229	15.8	29.900
8.	HP	274782-S	15.5	15.500
9.	HP	405232-S	15.8	15.800
10.	HP	104531-S	16.4	16.400
11.	HP	424265-T	15.7	16.000
12.	HP	088677-S	15.6	15.900
13.	HP	025368-T	15.5	15.800
14.	HP	124713-S	15.4	15.400
15.	HP	217306-T	15.8	16.000
16.	HP	333298-T	15.8	15.800
17.	HP	070942-T	15.5	15.500
18.	HP	056131-T	15.3	15.650
19.	HP	104323-S	16.0	16.00
20.	HP	363242-S	15.8	15.800

21.	HP	885300-J	15.7	16.300
22.	HP	303488-S	15.7	15.800
23.	HP	478194-T	15.6	15.800
24.	HP	083020-S	15.9	15.900
25.	HP	961571-S	16.2	16.200
26.	HP	293991-S	15.7	15.700
27.	HP	388281-S	15.7	15.700
28.	HP	989355-T	15.7	15.700
29.	HP	910600-S	15.6	15.600

इस प्रकार घेरलू गैस सिलेण्डर का सग्रंह कर वाणिज्यिक कार्य में प्रयोग किया जाना पाया गया जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनिमयन) आदेश 2000 की धारा 3 (1) (B) (C) व 7(C) 4 (1) (A) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्राथीगण को नोटिस अन्तर्गत धारा 6 बी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का जारी किया जो विधिवत तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक मोहम्मद अलताफ ने वकालतनामा पेश किया तथा अपनी मौखिक बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा भविष्य में इसी प्रकार की गलती दोबारा नहीं दोहराई जायेगी। कृपयाकर कार्यवाही ड्रॉप फरमावें।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डर का संग्रह कर वाणिज्यिक कार्य उपयोग में लिया जाना पाया गया जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, और वितरण विनिमयन) आदेश 2000 की धारा 3 (1) (B) (C) व 4 (1) (A) 7(C) की स्पष्ट अवहेलना की गई जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से विभागीय कार्यवाही से सहमत होते हुए जब्तसुदा 29 गैस सिलेण्डर मय गैस को राज्यसात (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को निर्देश है कि वह उक्त सिलेण्डर को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उनसे प्राप्त राशि निर्धारित मद में राज्य कोष में जमा करायी जाये। दो मोटर वाहन में गैस भरने वाली मशीन व दो डिजीटर कांटा (क्षमता 100 किलोग्राम) को ऊंची से ऊंची बोली पर निलामी के माध्यम से बेचकर इससे प्राप्त राशि को निर्धारित मद में जमा करावें। आदेश की एक प्रति जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील/तामिल दाखिल दफतर हो।